

ग्रामीण सेवा शिविर

'ग्रामीण सेवा शिविर -2025'



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत
(पीठासीन अधिकारी ग्रामीण सेवा शिविर/कैम्प कोर्ट - डेल्हर)

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का डेल्हर मू अ निरीक्षक किवरली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देलदर की अनुराधा के आधार पर राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसाराण मे ग्राम डेल्हर मू अ निरीक्षक वृत्त किवरली तहसील देलदर जिला सिरौही की जमावन्दी सम्यत 20/6/25 मे वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	डेल्हर	119	जानि-धुर्फ काष्ठ	जानि-शैवारी

(डॉ. अंशु प्रिया)

आई.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी
ग्रामीण सेवा शिविर-2025
उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

दिनांक-(18.09.2025)

क्रमांक / ग्रा.से.शि. / कोर्ट / 2025 / 169

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार देलदर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से अवगत करावे।
- 2 प्रार्थी श्री पटवारी हल्का डेल्हर को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

